

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012020-215442 CG-DL-E-15012020-215442

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] No. 29] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 14, 2020/पौष 24, 1941 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 14, 2020/PAUSHA 24, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2020

- सा.का.नि. 31 (अ)—केन्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 189 की उपधारा (5) के साथ पठित धारा 239 की उपधारा (2) के खंड (यघ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2016 का और संशोधन करने हेत् निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2016 के नियम 19 में निम्नलिखित रखा/संशोधित किया जाएगा:-
- (i) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(2) अंशकालिक सदस्यों के पद की अवधि पांच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, होगी और वे पुनर्नियक्ति के पात्र होंगे":
- (ii) उप-नियम (3) का लोप किया जाएगा।

[फा .सं. 30/02/2016-दिवाला]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

275 GI/2020 (1)

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. संख्यांक 831(अ), तारीख 29 अगस्त, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. संख्यांक 153(अ) तारीख 09 फरवरी, 2018, सा.का.नि. 1083(अ), तारीख 2 नवम्बर, 2018, सा.का.नि. 41(अ), 18 जनवरी, 2019, सा.का.नि. 168(अ) तारीख 26 फरवरी, 2019 और सा.का.नि. 378(अ) तारीख 21 मई, 2019

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2020

- **G.S.R. 31 (E).**—In exercise of the powers conferred by clause (zd) of sub-section (2) of section 239, read with sub-section (5) of section 189 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and members) Rules, 2016, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and members) Amendment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and members) Rules, 2016, in rule 19,- the following shall be substituted/amended:-
 - (i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 - "(2) The term of office of part-time members shall be five years or till they attain the age of 65 years, whichever is earlier, and they shall be eligible for reappointment";
 - (ii) sub-rule (3) shall be omitted.

द्वारा संशोधित किए गए थे।

[F.No. 30/02/2016-Insolvency]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secv.

Note: The principal rules were published vide notification number G.S.R. 831(E), dated the 29th August, 2016 and subsequently amended vide number G.S.R. 153(E), dated the 9th February, 2018, G.S.R. 1083(E), dated the 2nd November, 2018, G.S.R. 41(E), dated the 18th January, 2019, G.S. R. 168(E), dated 26th February, 2019 and G.S. R. 378(E) dated the 21st May, 2019.